



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग से छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को 05 वर्ष के कठोर कारावास व 7,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना ललपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0-134/2021 धारा-376, 354,506 भा0द0सं0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त रोहित पुत्र रामसनेही निवासी टीकापुर थाना ललपुरा जनपद हमीरपुर को धारा 354,506 भा0द0सं0 व 8 पॉक्सो एक्ट में दोषसिद्ध करते हुये 05 वर्ष का कठोर कारावास व 7,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



विशेष लोक
अभियोजक रुद्र प्रताप
सिंह



विवेचक-
निरी0 श्रीप्रकाश
यादव



पैरोकार
थाना - ललपुरा
का0 मुकेश